न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/362

1. डॉ0 अब्दुल हनीफ आत्मज श्री अब्दुल रजाक जी जाति मुसलमान निवासी 40 डी.आई. एल. कॉलोनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी आर.के. पुरम् कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. अब्दुल हनीस उम्र 33 वर्ष पुत्र स्व0 डॉ श्री अब्दुल हनीफ ।
   1/2 डा0 अब्दुल हदीस उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व0 डॉ0 श्री अब्दुल हनीफ ।
   1/3. शमा परवीन उम्र 31 वर्ष पुत्री स्व0 डा0 श्री अब्दुल हनीफ जाति मुसलमान निवासीगण 593–ए – आर0के0 पुरम कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री फैजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रमजानी पुत्र फतेहमोहम्मद (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. चांद मोहम्मद आत्मज रमजानी ।
   2/2. नसीर मोहम्मद आत्मज रमजानी ।
   2/3. वसीर मोहम्मद आत्म्ज रमजानी ।
   2/4. रसीद मोहम्मद आत्मज रमजानी ।
   2/5. छन्नू आत्मज रमजानी निवासीगण बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
   2/6. मजनूस पुत्री रमजानी जाति मुसलमान निवसी पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां ।
   2/6/1. हफीज पुत्र मजनूस ।
   2/6/2. बरकत पुत्र मजनूस ।
   2/6/3. नगीना पुत्री मजनूस ।
   2/6/4. शहनाज पुत्री मजनूस ।
   2/6/5. लईसा पुत्री मजनूस मुसलमान निवासीगण ग्राम प्लायथा तहसील अन्ता जिला बारा ।
   2/7. टांको बाई पुत्री रमजान जाति मुसलमान निवासी रामपुरिया तहसील अन्ता जिला बारां ।
3. फैज मोहम्मद पुत्र फतेहमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. शफी मोहम्मद पुत्र फतेहमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अन्ता जिला बारां (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. मुश्ताक अहमद
   4/2. मसूर मोहम्मद

4/3. जरीना पुत्री शफी मोहम्मद ।
4/4. महेताब बाई बेवा शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीगण अन्ता जिला बारां
4/5. मकबूल बेवा रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 06.05.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम बल्लभपुरा तहसील दीगोद में कुल 10 किता की 7.08 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार शकूर मोहम्मद व प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी। शकूर मोहम्मद का 15 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है । किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में शकूर मोहम्मद का नाम दर्ज चला आ रहा था । पक्षकारान के भ्राता रफीक मोहम्मद का देहावसान हो जाने पर उसकी बेवा का नाम अंकित नहीं हुआ । बाद में मकबूल बेवा रफीक मोहम्मद का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 03.09.1983 से शकूर मोहम्मद व प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 के हिस्से में शामिल कर दिया गया और मकबूल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के साथ जोड दिया गया । उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3, 4 व शकूर मोहम्मद का 1/5 — 1/5 हिस्सा रहा । वादी शकूर मोहम्मद का एक मात्र वारिस होने से वह उक्त भूमि में 1/5 हिस्से का खातेदार है । शकूर मोहम्मद का देहावसान हो जाने के बाद सन् 1998 में प्रतिवादीगण ने आपसी मिली भगत कर उनका नाम खाते से हटवा दिया । ग्राम धोरी तहसील दीगोद में शकूर मोहम्मद के नाम खसरा नम्बर 66/883 की 1.05 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 67 की 0.25 हैक्टर कुल 02 किता की 1.30 हैक्टर भूमि दर्ज चली आ रही थी । शकूर की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई । वादी शकूर मोहम्मद का वारिस होने से उक्त भूमि में उसका 1/5 हिस्सा निहित है और वह अपने हिस्से की भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम बल्लभपुरा तहसील दीगोद की कुल 10 किता की 7.08 हैक्टर भूमि में से शकूर मोहम्मद जी के 1/5 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी

कम 1 से 4 के साथ वादी का नाम 1/5 हिस्से पर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. *अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित कर वादी का वाद डिक्री कर दिया ।*

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा मृतक खातेदार शकूर मोहम्मद का अपने आपको दत्तक पुत्र बताकर वादग्रस्त आराजी में अपना 1/5 हिस्सा बताते हुए वाद पेश किया है जबकि शकूर मोहम्मद लाऔलाद फौत हुआ है । लोक अदालत में प्रतिवादी कम 1/1 से 1/6 की सहमति बताकर उक्त पत्रावली को लोक अदालत में रखकर निस्तारित किया है । शकूर मोहम्मद के मरने के बाद उसके जायन्दा वारिस रमजानी, फैज मोहम्मद, शफी मोहम्मद पि0 फतेहमोहम्मद मकबूल बेवा रफीक मोहम्मद के नाम संभाग से 1/4–1/4 हिस्सा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया । रमजानी के वारिसान प्रतिवादी कम 1/1 से 1/7 द्वारा अपने हिस्से 1/4 की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2013 को अपीलान्ट को बेचान कर कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया है तब से ही अपीलान्ट उक्त भूमि में 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है । विक्रय के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 20.09.2014 तस्दीक हो चुका है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाइ जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.06.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । उक्त आराजी में अपीलान्ट 1/4 हिस्से का सहखातेदार है । अतः अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में स्वयं को 1/4 हिस्से का सहखातेदार बताया है । अपील के साथ पेश किये गये विक्रय पत्र की प्रति व नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 खाता संख्या 16 के अनुसार आराजी में अपीलान्ट 1/4 के सहखातेदार दिनांक 20.09.2014 से दर्ज हो चुके हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. उक्त अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 के द्वारा स्वयं को शकूर मोहम्मद का दत्तक पुत्र बताकर 1/5 हिस्से हेतु दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया था जिसमें वादी को शकूर मोहम्मद का पुत्र होना स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया । इंतकाल नम्बर 343 को निर्णय का आधार बनाया है । यह इंतकाल ग्राम धोरी की आराजी का है । इंतकाल में लिखा हुआ है कि शकूर मोहम्मद लाऔलाद फोत हुआ है वादी उनका दत्तक पुत्र है । मुस्लिम विधि में कोई दत्तक पुत्र नहीं होता है । इस तथ्य पर गौर किये बिना ही गलत रूप से प्रतिवादी कम 1/1 लगायत 1/6 की सहमति बताकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । शकूर मोहम्मद की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी रमजानी, फैजमोहम्मद, शफी मोहम्मद पिसरान फतेहमोहम्मद, मकबूल बेवा रफीक मोहम्मद के नाम से 1/4 – 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था और नामान्तरकरण संख्या 67 में स्पष्ट रूप से शकूर को लाऔलात फौत होना अंकित किया गया था । रमजानी के वारिसान प्रतिवादी कम 1/1 से 1/7 द्वारा अपने हिस्से की आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 05.05.2014 को विक्रय कर कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया तब से ही अपीलान्ट का उक्त भूमि में 1/4 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है और उनके पक्ष में इंतकाल दिनांक 20.09.2014 से तस्दीक हो चुका है । वादी शकूर मोहम्मद का पुत्र नहीं है और न ही मुस्लिम विधि में गोद का प्रावधान है । अपीलान्ट को इस दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उनकी जानकारी में था कि रमजानी के वारिसान ने अपने हिस्से 1/4 की आराजी को अपीलान्ट को बेचान किया है । इन समस्त तथ्यों को छुपाकर दावा डिक्री करवाया गया है । अपीलान्ट दावे में प्रभावित पक्षकार है इसलिए 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने एक दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ हक घोषणा का पेश किया था यह दावा बहस में लम्बित था और इसे 05.01.2016 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी की ओर से ओ0पी0 सोनी अभिभाषक और प्रतिवादी कम 1/1 से 1/7 की ओर से बृजमोहन मालव अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसके उपरान्त दोनों पक्षों की सहमति अंकित करते हुए दावा डिक्री किया गया है । प्रतिवादी कम 2 से 4 में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है और न ही पक्षकारों के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा स्वयं को शकूर मोहम्मद का वारिस बताते हुए हक घोषणा का दावा पेश किया है । इस दावे में प्रतिवादी कम 1/1 से 1/7 की आरे से जवाबदावा पेश किया था जिसकी विशेष आपत्ति में यह कथन किया कि शकूर मोहम्मद लाऔलाद फौत हुआ है और वादी प्रतिवादी कम 2 का लडका है । उसका कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है । पत्रावली पर कुछ शपथ पत्र संलग्न किये गये हैं परन्तु इन शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है । दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित गया है कि जबकि वादी ने न्यायालय में

उपस्थित होकर न तो शपथ पत्र की ताईद की है और न ही इन दस्तावेजात को प्रदर्श करवाया है।

13. अपील में अपीलान्ट के द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनका अवलोकन किया गया । उक्त दस्तावेजात में विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2014 की प्रति संलग्न है यह विक्रय पत्र प्रतिवादीगण क्रम 1/1 से 1/7 के द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित अपने 1/4 हिस्से को अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय करने हेतु दिनांक 05.05.2014 को निष्पादित किया गया है और इसका पंजीयन भी दिनांक 05.05.2014 को पंजीयन कार्यालय से हो चुका है । इसके उपरान्त नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 20.09.2014 से प्रतिवादीगण क्रम 1/1 लगायत 1/7 के स्थान पर अपीलान्ट का नाम वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार के रूप में दर्ज हो चुका है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 पेश की है जिसके अनुसार दिनांक 20.09.2014 को अपीलान्ट का नाम वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार के रूप में दर्ज हो चुका था । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह आवश्यक पक्षकार थे और निर्णय दिनांक 05.01.2016 से पूर्व ही इनका नाम सहखातेदार के रूप में खाते में दर्ज हो चुका था ।

14. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.01.2016 से पूर्व ही प्रतिवादी क्रम 1/1 से 1/7 ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलान्ट को बेचान कर चुके थे फिर भी उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस तथ्य की जानकारी नहीं दी गई वरन् वादी के हक में दावा डिक्री करने हेतु स्वीकारोक्ति भी दे दी ।

15. इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को हितबद्ध पक्षकार मानते हुए उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में जो निर्णय पारित किया है उसमें न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही समस्त पक्षकारों ने सहमति दी है । प्रतिवादी क्रम 2 से 4 की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें समस्त पक्षकार उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय करना होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 06.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा